

**लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3290**

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण 1946 (शक) को दिया जाना है

उपकर का अधिरोपण और उपयोग

3290. श्री नवीन जिंदल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस-किस प्रकार के विभिन्न उपकर लगाए जा रहे हैं तथा लगाए जा रहे प्रत्येक उपकर का उद्देश्य क्या है और इस प्रकार एकत्रित धनराशि के वितरण की प्रणाली क्या है
- (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक उपकर से उपकर-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि एकत्रित की गई है;
- (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक नामित एजेंसी/निकाय को उपकर-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि वितरित की गई है; और
- (घ) कितनी धनराशि अवितरित रह गयी है और गत पांच वर्षों के दौरान किसी भी एजेंसी/निकाय को धनराशि के वितरण में किसी भी प्रकार के वर्षवार विलम्ब होने के विस्तृत कारण क्या हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): अधिरोपित मुख्य उपकरणों की सूची, वर्ष-वार संग्रहण के ब्यौरे सहित, अनुलग्नक 'क' में दी गई है।

इन उपकरणों के उद्देश्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का वित्तपोषण करना
- स्वास्थ्य अवसंरचना, कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय को वित्तपोषित करना,
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष. तथा
- वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान करना।

(ग) और (घ): पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रमुख आरक्षित निधियों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में किए जा रहे व्यय का विवरण अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है।

एकत्रित उपकरणों से प्राप्त आय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। संघ सरकार के संसाधन होने के कारण, आय का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न आरक्षित निधियों के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए किया जाता है। पिछले वर्षों में विभिन्न उपकरणों की प्राप्तियों और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, आरक्षित निधियों में अतिरिक्त अंतरण भी संघ सरकार के अपने संसाधनों और ऋण में कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए किया जाता है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान मुख्य उपकरणों का विवरण दर्शाने वाली सूची

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं .	अधिरोपण और कर प्राप्ति शीर्ष का नाम		वास्तविक आंकड़े 2018-19	वास्तविक आंकड़े 2019-20	वास्तविक आंकड़े 2020-21	वास्तविक आंकड़े 2021-22	वास्तविक आंकड़े 2022-23	संशोधित 2023-24	बजट 2024-25
परिचालन में उपकर:									
1	कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर		...	...	...	76950.68	74142.03	79910.00	83850.00
2	कच्चे तेल पर उपकर		17814.23	14062.49	10894.44	19353.84	21497.14	18500.00	19410.00
3	निर्यात पर उपकर		1690.23	5759.14	9214.64	1457.10	852.44	1560.00	2000.00
4	माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर		95080.71	95553.09	85191.91	104768.66	125862.41	145000.00	151009.00
5	स्वास्थ्य उपकर		...	...	-13.52	31.02	24.01	30.00	30.00
6	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर		41177.44	39131.10	35821.55	52732.33	61809.29	73000.00	83000.00
7	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक ड्यूटी		1797.80	2380.44	5098.81	6138.30	7168.30	8800.00	9460.00
8	सड़क एवं अवसंरचना उपकर*		110847.16	122424.32	235782.55	195986.96	59234.95	44300.00	46530.00
क		कुल योग (1 से 8)	268407.57	279310.58	381990.38	457418.89	350590.57	371100.00	395289.00
लागू नहीं होने वाले उपकर:									
9	प्राथमिक शिक्षा उपकर		97.40	81.48	61.85	15.44	3.18	...	...
10	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर		34.24	27.97	11.42	2.50	1.45	...	...
11	स्वच्छ ऊर्जा उपकर		4.88	24.56	0.01	23.86	19.75	...	...
12	कृष कल्याण उपकर		168.89	40.12	10.61	7.24	6.02	...	...
१३	स्वच्छ भारत उपकर		216.40	46.63	17.34	9.63	7.98	...	...
14	बुनियादी ढांचा उपकर		6.36	0.94	-0.07	...	...	...	...
15	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत एकत्रित अन्य उपकर		-7.84	21.79	0.74	-0.02	0.41	...	...
16	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों के अंतर्गत उपकर		52.10	25.84	23.59	19.20	-141.83	...	...
ख		कुल योग (9 से 16)	572.43	269.33	125.49	77.85	-103.04	...	...
कुल योग (क+ख)			268980.00	279579.91	382115.87	457496.74	350487.53	371100.00	395289.00

* इसमें पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है, जिसे 'सड़क और बुनियादी ढांचा उपकरण' लागू होने से पहले 'सड़क उपकरण' के रूप में जाना जाता था।

मुख्य आरक्षित निधियों के माध्यम से उपकर आय का उपयोग (आरक्षित निधियों में अंतरित उपकर)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	निधि का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (संशोधित अनुमान)	2024-25 बजट अनुमान
1	कृषि अवसंरचना एवं विकास निधि*	...	...	...	...	...	129534.90	116308.70
2	प्रारंभिक शिक्षा कोष	25227.90	26848.35	30168.34	31788.25	38000.00	38000.00	43000.00
3	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष#	...	14460.25	20561.27	25000.00	14250.00	37833.33	29763.13
4	जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि	54275.00	153910.29	106317.00	110795.47	163506.29	145000.00	150000.00
5	केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि	62879.64	90252.40	182363.47	251738.18	239646.25	44300.00	37500.00
6	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष**	2500.00	2480.00	5820.00	6134.60	8000.49	8800.00	9460.00
7	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि#	...	...	20000.00	21498.72	18339.27	9869.87	14757.68
	कुल योग	144882.54	287951.29	365230.08	446955.22	481742.30	413338.10	400789.51

विभिन्न योजनाओं के लिए व्यय 2023-24 में निधि के प्रचालनीकरण से पूर्व सीधे बजटीय सहायता के माध्यम से किया जा रहा था।

आरक्षित निधि अर्थात् माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि वर्ष 2022-23 से चालू हो गई है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक उपयोग संबंधित वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार है।

** दोनों निधियों की राशि एक साथ ली गई है